रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 348] नई दिल्ली, सोमवार, जून 21, 1971/ज्येष्ठ 31, 1893
No. 348] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 21, 1971/JYAISTHA 31, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 17th June 1971

S. O. 2446.— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Seeds Act 1966 (54 of 1966) the Central Government, after consultation with Central Seed Committee being of the opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of Seeds of varieties specified in column (1) of the Table below, to be sold for the purpose of Agriculture, hereby declares the varieties in the said column to be notified varieties for the purpose of the said Act in respect of the areas specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, namely :—

TABLE

Variety	Area for which notified
(1)	(2)
Wheat	
Lal Bahadur	Rajasthan
Til	
Pratap	Rajasthan

(1)	(2)
Paddy	
1. ADT-27 2. C.O.—25 3. CO:29 4. Padma 5. Jaya	Pondicherry Goa, Daman & Diu
6. Taichung Native-1	Goa, Daman & Diu and Assam
7. Annapurna-28	Kerala
Maize	
1. Hy. Maize Ganga-5	Delhi and Tamil Nadu
2. Composite Maize Kisan	Assam
Bajra	
Hy. Bajra-3	Tamil Nadu

1	2	3
Cotton		
1. Laxmi	65	95·0
2. Hampi	65	95·0
3. Narbada	65	95·0
Berseem	70	97·0
Soyabean		
(i) Bragg	70	96·0

This notification shall come into force with immediate effect.

[No. 7(15)70-Seeds:Dev.]

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, जून, 1971

का० आ० 2446.—बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात यह राय होने के कारण कि कृषि के प्रयोजनार्थ विक्रय किए जाने वाले, नीचे की सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीज की क्वालिटी को विनियमित करना आवश्यक और समीचीन है, वह एतद्द्वारा उक्त स्तम्भ में की किस्मों को, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों की बाबत अधिसूचित किस्में घोषित करती है, अर्थात् :—

सारणी

किस्म	क्षेत्र जिसके लिए अधिसूचित की गई है
(1)	(2)
गेहूं	
लाल बहादुर	राजस्थान
तिल	
प्रताप	राजस्थान

(1)	(2)
धान	
1. ए डी टी-27	पाण्डिचेरी
2. सी० ओ०-25	
3. सी० ओ०-29	
4. पद्मा	गोवा, दमण और दीव
5. जया	
6. तायचुंग नेटिव-1	गोवा, दमण और दीव और असम
7. अन्न पूर्णा-28	केरल
मक्का	
1. संकर मक्का-गंगा 5	दिल्ली और तमिल नाडु
2. मिश्रित मक्का-किसान	असम
बाजरा	
संकर बाजरा-3	तमिल नाडु
कपास	
1. लक्ष्मी	मैसूर
2. हाम्पी	
3. नर्बदा (ए-51 9)	मध्य प्रदेश
बरसीम	दिल्ली
सोयाबीन	
ब्रेग	दिल्ली

यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत होगी ।

[संख्या 7(15)/70-बीज विकास]

S.O. 2447.—In exercise of the powers conferred byclause (a) of Section 6 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Govetnment after consultation with the Central Seed Committee, hereby specifies the limits of germination and purity mentioned in column (2) & (3) respectively of the Table below, as the minimum limits of germination and purity with respect to the seeds of the notified varieties mentioned in corresponding entry in column (1)of the said Table, namely

TABLE

Variety	Minimum limits of germination in percent	Minimum limits of purity in percent
(1)	(2)	(3)
Wheat		
Lal Bahadur	80	97 0
Till		
Pratap	80	97·0

(1)	(2)	(3)
Paddy		
1. ADT-27 2. CO-25 3. CO-29 4. Padma 5. Jaya 6. Taichung Native-1 7. Annapurna-28	70	97·0
Maize		
1. Hy. Maize Ganga-5	80	97·0
2. Composite Maize-Kisan	80	97·0
Bajra		
Hy. Bajra	70	96·0

[No.7(15)/70-SD.]
S.M.H. BURNEY, Jt. Secy.

का० आ० 2447.—बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 6 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तंभ (2) और (3) में क्रमश वर्णित अंकुरण और शुद्धता की सीमाओं को उक्त सारणी के स्तंभ (1) में तत्संधानी प्रविष्टि में वर्णित अधिसूचित किस्मों के बीजों की बाबत अंकुरण और शुद्धता की न्यूनतम सीमा के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

सारणी

किस्म	अंकुरण की न्यूनतम सीमा, प्रतिशत	शुद्धता की न्यूनतम सीमा, प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
गेहूं		
लाल बहादुर	80	97.0
तिल		
प्रताप	80	97.0
धान		
1. ए डी टी-27 2. सी० ओ०-25 3. सी० ओ०-29 4. पद्मा 5. जया 6. तायचुंग नेटिव-1 7. अन्न पूर्णा-28	70	97.0

(1)	(2)	(3)
मक्का		
1. संकर-मक्का-गंगा-5	80	97.0
2. मिश्रित मक्का–किसान	80	97.0
बाजरा		
संकर बाजरा	70	96.0
कपास		
1. लक्ष्मी	65	95.0
2. हाम्पी	65	93.0
3. नर्बदा	65	95.0
बरसीम	70	97.0
सोया बीन ब्रेग	70	96.0

यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी।

[सं० 7(15)/70-बीज विकास]

सै० मु० हु० बर्नी, संयुक्तसचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971